शोध मंथन Vol. XIV No.II Apr.-June 2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.870 (SJIF)

उत्तर प्रदेश में विकास प्रशासन

प्राप्तिः 26.05.2023
स्वीकृतः 24.06.2023

31

प्रो० शशि वशिष्ठ
पूर्व प्राचार्या एवं विभागाध्यक्षा, राजनीति विज्ञान विभाग
एस०एस०वी० (पी०जी०) कॉलिज, हापुड

जितेन्द्र कुमार
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विाभाग
एस०एस०वी० (पी०जी०) कॉलिज, हापुड़

ईमेलः *shyamkumarhapur3@gmail.com*

सारांश

उत्तर प्रदेश को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ प्रदेश बनाया गया। इससे पूर्व यह संयुक्त प्रान्त के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश बनने के साथ ही इसकी प्रशासनिक प्रणाली का निर्माण हुआ और विकास प्रशासन प्रारम्भ हुआ। उत्तर प्रदेश में विकास प्रशासन के अर्न्तगत महत्वपूर्ण योजनायें लागू की गई, जिससे प्रदेश की जनता का कल्याण हो। इन योजनाओं में शिक्षा के विकास, बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम, पर्यावरण सुधार कार्यक्रम, महिला कल्याण तथा बाल विकास कार्यक्रम, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं।

मुख्य बिन्दु

उत्तर प्रदेश, विकास प्रशासन, बाल उन्मूलन, पर्यावरण सुधार, नगरीय रोजगार, महिला विकास।

उत्तर प्रदेश भारत के विशालतम राज्यों में से एक है। इसके उत्तर में नेपाल राष्ट्र एवं उत्तराचंल राज्य, दक्षिण में म0प्र0 एवं छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार एवं झारखंड तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान की सीमाएँ मिलती हैं। इस प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग कि.मी. है जो भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल (3287 हजार वर्ग कि0मी0) का 7.33 प्रतिशत है। क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से राजस्थान (10.41%), महाराष्ट्र (9.36%), मध्य प्रदेश (9.03%), आंध्र प्रदेश (8.37%), के बाद उत्तर प्रदेश (7.33%) का स्थान भारत के पाँचवें विशाल राज्य के रूप में है।[1]

इस प्रांत को अपना नाम 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ प्राप्त हुआ। 1937 से 1950 तक इसे संयुक्त प्रांत (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत (अवध के अतिरिक्त) बंगाल प्रेसीडेन्सी का ही एक हिस्सा था, सुविधानुसार इसे कभी पश्चिमी प्रांत के नाम से पुकारा जाता था। बाद में 'आगरा प्रेसीडन्सी' का निर्माण कर इसे 'बंगाल प्रेसीडेन्सी' से अलग किया गया। 1836 में इसका नया नाम 'उत्तर पश्चिम प्रान्त' (नार्थ वेस्टर्न प्राविजन्स) हुआ तथा आगरा इसका मुख्यालय बना। 7 फरवरी 1856 को अवध को भी ब्रिटिश

साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 1857 की क्रांति के बाद 1858 ई0 में लार्ड कैनिंग ने पूरे उत्तरी पश्चिमी प्रांत को एक ले. गवर्नर के द्वारा शासित प्रांत बना दिया। अब इसका मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कर दिया गया। 1877 में अवध और उत्तर पश्चिम प्रांतो के ले. गवर्नर और मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत (यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध) कर दिया गया। तब ले. गवर्नर का पद ही एक एकीकृत प्रांत का सर्वोच्च प्रशासनिक पद बना।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत ले. गवर्नर के पद को गवर्नर के पद की मान्यता प्राप्त हो गयी तथा 1920 के चुनावों के बाद इस प्रांत की सरकार एक बार पुनः इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। 1921 में ही लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना की गयी तथा 1935 तक प्रांतीय सचिवालय को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरण का कार्य पूरा होने के बाद लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोशित कर दिया गया। 1937 में इस प्रांत का नाम एक बार फिर बदलकर 'संयुक्त प्रांत' (यूनाइटेड प्राविन्सेज) कर दिया गया। सन् 2000 में प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके उत्तरांचल अब उत्तराखण्ड का गठन किया गया। उत्तराखंड के पूर्व उत्तर प्रदेश के तीन भू भाग थे– पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। लेकिन उत्तराखंड के गठन के बाद अब पूरा पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ तराई–भाग, क्षेत्र ही बचा हुआ है।[2]

राज्य प्रशासन के सुव्यवस्थित संचालित और जनता के समीप रहकर जनहित को पूरा करने के उद्देश्य से प्रशासन को क्षेत्रीय और भू क्षेत्रीय इकाइयों में बांटा गया है। राज्य से ग्राम स्तर तक स्थित प्रशासनिक इकाइयाँ सामान्य और विकास प्रशासन के सम्बद्ध में सुसम्बद्ध हैं।[3]

उत्तर प्रदेश में संसदीय शासन प्रणाली है। राज्य का प्रशासन केन्द्रीय प्रशासन का ही प्रतिरूप है। राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रधान होता है। राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके कार्यपालन, परामर्श तथा अन्य सहायतार्थ राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लखनऊ में एक पूर्णतः सुव्यवस्थित सचिवालय कार्यरत है। सचिवालय के प्रायः सभी विभागों में उनके नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यालयाध्यक्ष होते हैं, जो शासन की कार्यपालिका शक्ति के रूप में कार्य करते हुए समस्त आदेश राज्यपाल के नाम से प्रसारित करते हैं। सचिवालय राज्य प्रशासन का उच्चतर स्तर होने के कारण इसका प्रमुख कार्य नीति निर्धारण और विधायी कार्यों में राज्य सरकार की सहायता करना है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री एवं मंत्रीपरिषद के सदस्यों को आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराने के लिये जो प्रशासनिक निकाय कार्यशील है, वह राज्य सचिवालय ही है। सचिवालय राज्य सरकार का हृदय केन्द्र है, यहीं पर कार्यपालिका के आदेशों, समस्त नीतियों का निर्धारण एवं प्रशासकीय कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है।

सचिवालयों तथा विभागाध्यक्षों के बाद महत्वपूर्ण स्थान मण्डलायुक्त का होता है, जो अपने मण्डल में शांति व्यवस्था, राजस्व तथा अन्य मामलों के लिये पूर्णतः उत्तरदायी होता है। मण्डलायुक्त को जिलाधिकारियों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, नियोजन तथा विकास कार्यों की देखभाल करनी होती है। प्रत्येक मण्डल या कमिश्नरी में कुछ जिले होते हैं, जिनका प्रशासनिक अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। वह जिला मजिस्ट्रेट या उप–मण्डलायुक्त तथा कलैक्टर भी कहलाता है। जिलाधिकारी पूरे जिले

के प्रशासन की धुरी है। वह अपने जिले में शांति व्यवस्था के लिये पूर्णतः उत्तरदायी होता है और उसको विस्तृत प्रशासनिक पुलिस और राजस्व संबंधी अभिलेखों को सुरक्षित रखने के अतिरिक्त भूमि सुधार, नियोजन और विकास से सम्बद्ध कार्यों की देखभाल करनी होती है।[4] जिलाधिकारी के प्रमुख कार्यों में से एक है विकास–कार्यों के क्रियान्वयन का निरीक्षण एवं प्रबंधन। हमारी कल्याणकारी राज्य व्यवस्था में संसाधन की योजनाओं, निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रमों, रोजगार के अवसर पैदा करने और शिक्षा तथा स्वास्थ्य की सुविधाएँ जुटाने में सरकार का सक्रिय हस्तक्षेप रहता है। नीतियों का निर्माण तो राज्य स्तर पर होता है पर उनके अमल की कसौटी जिला है। जिलाधिकारी के समय के बारे में किए एक सर्वे से पता चला है कि वह अपने समय का ज्यादातर हिस्सा लोगों से मिलने, कानून और व्यवस्था, वीआईपी ड्यूटी, बैठकों में और विभिन्न योजनाओं के समन्वय में बिताता है। विकास–कार्यों के लिए उसके पास अपने वक्त का 20 फीसदी से भी कम समय बचता है।[5] बेशक यह दर हर जिले में अलग–अलग है। छोटे जिले में जहाँ कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याएँ कम होती हैं वहाँ विकास–कार्यों में जिलाधिकारी ज्यादा वक्त दे सकता है। लेकिन इन जिलों में भी वह व्यक्तिगत तौर पर क्रियान्वयन के सभी पक्षों पर नजर नहीं रख सकता है। उसे विकास–कार्यों से जुड़े अधिकारियों की अपनी टीम का हौसला बढ़ाना पड़ता है, योजनाओं के प्रभावी निरीक्षण के लिये व्यवस्था विकसित करनी होती है और चुनिंदा जगहों पर खुद जाकर जाँच–पड़ताल करनी होती है। यही एकमात्र तरीका है जिससे विकास–परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर सकता है।[6]

उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सीडीओ होता है। वह या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है या वरिष्ठ पीसीएस (प्रांतीय नागरिक सेवा) होता है या फिर बीडीओ कैडर से तरक्की कर इस पद पर पहुँचा होता है। उसे ही ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रमों के बीच समन्वय करना होता है। जिलाधिकारी उसी के जरिए काम करता है और उसे पूरा सहयोग देता है। सीडीओ के दफ्तर में एक डीडीओ और एक डीआरडीए के परियोजना निदेशक होते हैं। हालांकि सीडीओ विकास शाखा का प्रमुख होता है लेकिन इन अधिकारियों पर सीडीओ का सीधा नियंत्रण नहीं है। इन पर नियंत्रण रखना उसके लिए काफी मुश्किल काम है। इनसे काम कराने के लिये सीडीओ को जिलाधिकारी के प्रभुत्व का इस्तेमाल करना पड़ता है।[7] जिला स्तर पर विकास संबंधी ज्यादातर कार्यों के लिये पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, ट्यूबवेल, जल निगम और तकनीकी विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। ये विभाग विकास के लिये उपलब्ध धनराशि में से सबसे अधिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी भी अपने खर्च का विस्तृत ब्यौरा नहीं पेश करते। सीडीओ को उनकी रोजमर्रा की प्रगति के संबंध में कोई जानकारी नहीं रहती लेकिन जिलाधिकारी और सीडीओ कार्य की गुणवत्ता के लिये जिम्मेदार हैं।

प्रशासन की सुविधा को ध्यान में रखकर जिले का विभाजन तहसीलों, विकास खंडों तथा गांवों में किया गया है।[8] बीडीओ वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरा विकास प्रशासन घूमता है। सन् 1952 में जब सामुदायिक विकास की शुरूआत की गई थी तब 'विकास इकाई' के तौर पर ब्लाक (खंड) बनाए गए थे। ऐसा करते हुए गांव को काफी छोटा और जिले को काफी बड़ा समझा गया। सामान्यतः एक ब्लाक की जनसंख्या एक लाख होती है और ब्लाक एक विकास केन्द्र की भूमिका निबाहने की स्थिति में होता है। ब्लाक का प्रमुख बीडीओ होता है। कृषि, सहकारी संघ, पंचायत, सांख्यिकी और दूसरे क्षेत्रों में उसकी

मदद के लिए एडीओ (एडिसनल डेवलेपमेंट ऑफिसर–सहायक विकास अधिकारी) होते हैं अंततः गांव के स्तर पर वीएलओ (विलेज लेवल ऑफिसर–ग्राम विकास अधिकारी) और पंचायत सचिव होते हैं। मौजूदा दौर मे बीडीओ पर काफी बोझ होता है। सरकार की ओर से शुरू किसी भी योजना के क्रियान्वयन का केन्द्रबिन्दु बीडीओ होता है। बीजों के वितरण, आईआरडीपी (इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलेपमेंट प्रोग्राम–समेकित ग्रामीण विकास परियोजना) के अमल, राष्ट्रीय बचत और साथ ही परिवार नियोजन के लक्ष्य को पूरा करने संबंधी कार्यों में बीडीओ शामिल होता है। हर योजना के तहत वक्तव्यों की सूची जिलाधिकारी के पास भेजनी होती है और इसमें बड़े पैमाने पर कागजी कार्यवाही होती है। ऐसी सभी प्रतिवेदनों का आरंभ बीडीओ से होता है।[9]

सार्वजनिक महत्व के विषयों के सम्बन्ध में उचित और तर्कपूर्ण सार्वजनिक नीतियों द्वारा समुचित कदम उठाना सरकार का मुख्य दायित्व है आज आधुनिक समाजों में एक लोककल्याणकारी राज्य के स्थापना में सामान्य सहमति पायी जाती है जिसका लक्ष्य है–सामान्य सामाजिक सेवाएँ उपलब्ध ा कराना, निरंतर विकास और पर्यावरण सुधार आदि। सरकार इन उद्देश्यों की भी प्राप्ति हेतु बहुमुखी कार्य सम्पन्न करती है जैसे–मानव संसाधन, सामग्री एवं वित्तीय संसाधन जुटाना, आधारभूत संरचना, संरचनात्मक तकनीकी सुविधाएँ प्रदान करना तथा संस्थागत ढांचा प्रदान करना। इसके अतिरिक्त सरकार प्रशासन में जनता का सहयोग और सहभागिता प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित करती है ताकि प्रत्येक अंश राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक आर्थिक विकास में भाग ले सकें।

उपरोक्त निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वय विकास प्रशासन के माध्यम से सम्पन्न कराया जा रहा है। जैसे– शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6–14 वर्ष के बच्चों के लिये 01 कि.मी. की दूरी तथा न्यूनतम 300 की आबादी की असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 03 कि.मी. दूरी एवं न्यूनतम 800 की आबादी की असेवित बस्तियों में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की व्यवस्था है, कक्षा 1 से 8 के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था है, कक्षा 1 से 8 तक की समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार के बालकों को निःशुल्क वितरण की व्यवस्था है। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान जिसमें प्रदेश में 15–35 वर्ष के निरक्षरों के लिए साक्षरता समिति के माध्यम से संपूर्ण साक्षरता अभियान सभी जनपदों में संचालित किये जाते हैं।

सरकार द्वारा कभी स्कूल न गये तथा शालात्यागी 11–14 वर्ष के बच्चों के लिए 9 माह की अवधि के लिए आवासीय तथा गैर आवासीय ब्रिज कोर्स का संचालन किया जाता है। समाज के विशेश रूप से असहाय निराश्रित सुविधाविहीन विकलांग वर्गों के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश द्वारा 20 सितम्बर 1995 से विकलांग कल्याण विभाग का गठन किया गया है जो इनके कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रम जैसे संकेत (राजकीय मूक बधिर विद्यालय आगरा, फर्रूखाबाद, गोरखपुर) स्पर्श (बालक/बालिकाओं के लिये राजकीय दृष्टि बाधित विद्यालय, लखनऊ, गोरखपुर, बांदा, सहारनपुर) ममता (मानसिक रूप से अविकसित बालकों/बालिकाओं का राजकीय विद्यालय, लखनऊ तथा इलाहाबाद) प्रयास (शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये राजकीय विद्यालय, लखनऊ, प्रतापगढ़) कौशल विकास केन्द्र (दृष्टिबाधितों के लिये राजकीय कर्मशाला, लखनऊ, गोरखपुर, बांदा), कौशल

विकास केन्द्र (शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगों के लिए राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला, वाराणसी), कौशल विकास केन्द्र (मूक–बधिरों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला, आगरा) आदि आयोजित करते हुए विकलांग वर्ग के सर्वांगीण विकास का कार्य सम्पन्न करता है।

बाल श्रम उन्मूलन की प्रक्रिया को गति प्रदान करने की दृष्टि से शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप सभी जिलों में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में "बालश्रम उन्मूलन" जनपद समिति गठित करके सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकष्त करायी गयी है।[10] बाल श्रमिकों के चिन्हांकन हेतु 2011–12 में कुल 1168 बाल श्रमिक चिन्हित किये गए हैं। प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन हेतु राज्य सेक्टर से योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं जैसे–कन्डीशनल कैश ट्रान्सफर योजना–11वीं पंचवर्शीय योजना में कुल 10 जिलों मुरादाबाद, कानपुर नगर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, आजमगढ़, लखनऊ एवं सोनभद्र में शासन द्वारा ऐसे बाल श्रमिकों जिन्हें परिवार की विशम परिस्थितियों के कारण विवश होकर स्वयं तथा परिवार के जीवनयापन के लिए बालश्रम/कर्म करना पड़ता है, के लिये स्वीकृत की गई है।

प्रदेश के पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार एवं सम्वर्धन हेतु विविध कार्यक्रम चलाये जाते हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, पर्यावरणीय शोध करने, पर्यावरण संगत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित करने से संबंधित होते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों में जनमानस को सहभागी बनाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय जन जागरूकता उत्पन्न करने हेतु वर्ष 2011–12 में रू0 10.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई, जिसके अन्तर्गत कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। जिला योजनान्तर्गत प्रदेश के 63 जनपदों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए गये जिनमें सापेक्ष रू0 100.00 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई। अनिवार्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के विद्यालयों एवं सरकारी कार्यालयों इत्यादि में स्थानीय प्रजाति के वृक्षों का रोपण तथा नदी संरक्षण हेतु विषेश अभियान का संचालन इत्यादि कराये जाने की व्यवस्था की गई।

गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिये 'गंगा कार्य योजना' के नाम से एक परियोजना 1985 में प्रारंभ की गई है। राज्य में गंगा कार्य योजना हेतु नगर विकास विभाग नोडल विभाग है तथा उत्तर प्रदेश जल निगम, नगर निगम/नगर परिषद तथा जल संस्थान कार्यदायी संस्थाएँ हैं। इस योजना के प्रथम चरण को एक लाख की आबादी से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में ही लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत गंगा नदी के तट पर स्थित 6 नगर क्रमशः हरिद्वार, ऋषिकेश (अब उत्तरांचल में), फर्रूखाबाद, फतेहगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी तथा मीर्जापुर को शामिल किया गया। इस योजना का उद्देश्य गंगा नदी के जल प्रदूषण को कम कर उसे स्नान योग्य बनाना है। इसके प्रथम चरण के संतोशजनक परिणामों को देखते हुए गंगा नदी तथा उसकी मुख्य सहायक नदियों यमुना एवं गोमती के तट पर स्थित कुल 23 नगरों (प्रथम चरण के 5 नगरों को सम्मिलित करते हुए) में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में द्वितीय चरण के प्रदूषण नियंत्रण कार्य प्रस्तावित किये गये।

प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत सितम्बर 2004 से प्रदेश के राजकीय/परिशदीय/सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों, तहतानियां स्तर के

अनुदानित मदरसों, ए0आई0ई0 केन्द्रों एवं राष्ट्रीय बालश्रम योजनान्तर्गत बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययरनत् विद्यार्थियों को मध्यावकाश में विविधतापूर्ण एवं पौष्टिक मध्यान्य भोजन प्रदान किया जाता है। परिणामतः विद्यार्थियों के नामाकंन में वृद्धि, ड्राप आउट की कमी, स्वास्थ्य एवं शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार तथा विद्यालय में सभी जाति एवं धर्म के छात्र–छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द एकता एवं परस्पर भाईचारे की भावना का विकास हुआ है। योजना अर्न्तत दैनिक अनुश्रवण प्रणाली (आईवीआरएस) को भारत सरकार से ई–गवर्नेन्स का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

महिला कल्याण एवं बाल विकास के तहत गर्भवती माताओं एवं बच्चों को कुपोषण आदि से बचाने तथा उनके समन्वित विकास के लिये भारत सरकार के सहयोग से समेकित बाल विकास परियोजना प्रारंभ की गयी। इस हेतु प्रदेश स्तर पर बाल विकास सेवा एवं पुष्टा आहार निदेशालय की स्थापना की गयी है तथा इसके द्वारा 897 समेकित बाल विकास परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं जिसमें 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाएं तथा किशोरी बालिकाएँ लाभान्वित हो रही हैं जिसमें अनुपूरक पोशाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकाकरण), स्वास्थ्य जाँच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल पूर्व शिक्षा तथा निर्देशक एवं संदर्भ सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। इसके लिये कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षणों के आयोजन मार्गदर्शन तथा पुस्तकों के रूप में भी यूनीसेफ द्वारा आपसी सहमति के आधार पर तैयार शीर्षक योजना के अनुसार सहायता दी जाती है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा वर्तमान में प्रदेश के 75 जनपदों में 897 परियोजनाएँ संचालित हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं में अनुपूरक पोशाहार, किशोरी शक्ति योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम सूचना शिक्षा एवं प्रचार–प्रसार कार्यक्रम (आईईसी), राजीव गाँधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना (सबला) आदि हैं।

महिलाओं को विकास संबंधी कार्यक्रमों से सम्बद्ध करके उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने में मदद करने के उद्देश्य से वर्ष 1989 में शासन स्तर पर एक अलग महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। विभिन्न प्रकार की आपदाओं से ग्रस्त एवं सामाजिक कुरीतियों की शिकार महिलाओं एवं बच्चों को विविध प्रकार की आर्थिक सहायता, शिक्षा, प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर सुसंस्कृत एवं विकसित व्यक्तित्व प्रदान करने जैसा गुरूतर कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जा रहा है।[11]

नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा संचालित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निगम के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा योजना संचालित की जा रही है। प्रशिक्षण विभिन्न ट्रेडों में संचालित किया जाता है। इस हेतु 03 से 06 माह की अवधि निर्धारित है।

प्रदेश के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा निर्धारित विकास एजेण्डा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु योजनाओं को जनोपयोगी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। श्रम परक एवं स्वतः रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करना, बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना, 500 से अधिक आबादी के सभी बस्तियों को पक्के मार्गों से जोड़ना, प्रत्येक बस्ती में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना आदि ग्रामीण विकास की प्राथमिकताएँ हैं। ग्राम विकास विभाग द्वारा महात्मा गांधी राट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय आजीविका मिशन, इन्दिरा आवास योजना, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण पेयजल योजना आदि संचालित किये जा रहे हैं।

इसी प्रकार प्रदेश स्तर पर नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग का गठन किया गया है जिसके अधीन राज्य स्तर पर राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) का गठन नोडल एजेन्सी के रूप में किया गया है। जनपद स्तर पर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) स्थापित किये गये हैं। इनके माध्यम से शहरी गरीबों के सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। डूडा के प्रदेश अध्यक्ष संबंधित जिलाधिकारी हैं व जनपद के समस्त नगर निकायों के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त मलिन बस्तियों में प्रत्येक 2000 परिवार पर एक सामुदायिक विकास समिति (सीडीएस) का गठन किया गया है। इन समितियों का उद्देश्य मलिन बस्तियों के विकास में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करना है।

सन्दर्भ

1. उत्तर प्रदेश. (2012). सूचना एवं जनसंपर्क विभागः उत्तर प्रदेश, लखनऊ. पृष्ठ **265.**
2. उत्तर प्रदेश. (2012). सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ. पृष्ठ **3.**
3. कौर, इन्द्रजीत. (2011). 'लोक प्रशासन : नए क्षितिज'. एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउसः आगरा. पृष्ठ **429.**
4. उत्तर प्रदेश. (2012). सूचना एवं जनसंपर्क विभागः उत्तर प्रदेश, लखनऊ. पृष्ठ **70.**
5. रंजन, आलोक. (2011). विकास प्रशासन. प्रगति संस्थानः दिल्ली. पृष्ठ **7.**
6. रंजन, आलोक. (2011). विकास प्रशासन. प्रगति संस्थानः दिल्ली. पृष्ठ **8.**
7. रंजन, आलोक. (2011). विकास प्रशासन. प्रगति संस्थानः दिल्ली. पृष्ठ **9.**
8. उत्तर प्रदेश. (2012). सूचना एवं जनसंपर्क विभागः उत्तर प्रदेश, लखनऊ. पृष्ठ **70.**
9. रंजन, आलोक. (2011). विकास प्रशासन. प्रगति संस्थानः दिल्ली. पृष्ठ **13.**
10. उत्तर प्रदेश. (2012). सूचना एवं जनसंपर्क विभाग. उत्तर प्रदेश, लखनऊ. पृष्ठ **884.**
11. उत्तर प्रदेश. (2012). सूचना एवं जनसंपर्क विभाग. उत्तर प्रदेश, लखनऊ. पृष्ठ **632.**